कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2016 /12–1 :देहरादून:दिनांक: 10 फरवरी, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

वन अनुभाग–03

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा धारचूला में रांथीगांव से बोरागांव तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी0 तक निर्माण हेतु 0.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/9429/2015)

सन्दर्भः–वन अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–250/X-3-21/1(16)/2021 दिनांक 23.03.2021 एवं इस कार्यालय की पत्र संख्या–1260 दिनांक 22.10.2024 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण में शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या हार्ड प्रति में इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा पूर्व में शासन को प्रेषित की गयी है, जिस क्रम में शासन से प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान में प्रस्तावक विभाग के स्तर से अनुपालन आख्या ऑनलाईन नोडल कार्यालय को प्राप्त हुई है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करना चाहें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1260 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 22 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।
वन अनुभाग–03

विषयः– जनपद पिथौरागढ के राज्य योजना अन्तर्गत विधानसभा धारचूला में सोनी गांव से बोसगांव तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी0 निर्माण हेतु 0.275 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 250/X –3–21/1(16)/2021 दिनांक 23.03–2021।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा के पत्रांक 880/12–1(2), दिनांक–05.10.2024 जो कि निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:–

क्र. सं.	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानो पर नियमानुसार वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 1,33,100.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष मे जमा कर दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0–566 एंव भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0–566 एंव भारत सरकार पत्र संख्या 5 3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 180,675.00 मात्र जमा कर चालान रसीद संलग्न कर प्रेषित की गयी है। (संलग्नक –1 के अनुसार)
3	प्रयोक्ता अभिकारण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी की दर से बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रस्ताव विभाग द्वारा शर्त मान्य है। (संलग्नक–2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या –05–03/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एस0बी0 –25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक –11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स फेज–01 लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशिकर मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा एन0पी0वी0 तथा प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की रसीद की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–3)

	होगी।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियो एंव भू-वैज्ञानिक के सुझावो का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा शर्त का अनुपालन किया जाऐगा। (संलग्नक-4)
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखो/प्रमाण पत्रो को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखो/प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-5)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव मे निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति मे राज्य सरकार , पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिलीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि मे पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण मे कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
10	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा आख्या पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 1260 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।
2-प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।
3-अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अरकोट, पिथौरागढ।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।

66

इन्दिरानगर फारेस्ट ...

E-Mail ID: nodalofficer...@gmail.com

पत्रांक- 1260 /12-1 देहरादून दिनांक 22 अक्टूबर, 2024

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-07-2023

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6194290191
MoEF/SO File No.	1(16)/2021
Location.	UTTARANCHAL
Address.	cd pwd askotePithoragarh
Amount(In Rs)	313775/-

Amount In Words :Three Lakh Thirteen Thousand Seven Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896194290191 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jolitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY — संलग्नक - 1

यूनियन बैंक Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-07-2023

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6194290191
MoEF/SO File No.	1(16)/2021
Location.	UTTARANCHAL
Address:	cd pwd askote Pithoragarh
Amount(In Rs)	313775/-

Amount In Words :Three Lakh Thirteen Thousand Seven Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896194290191 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jolitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference Id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurso@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR- SBIN123338313650

24 DEC 2023

Executive Engineer
Construction Division, PWD
Askote (Pithoragarh)
Code No. 1888

सहायक अभियन्ता ( )
...

https://forestsclearance.nic.in/Users/...anCorp.aspx?pid=ROAD94292015191&INVLD=T

संलग्नक – 2 (80)

प्रपत्र–43

परियोजना का नाम:– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रांथी से बोरागांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 2.00 किमी0)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

JE
CD, PWD
Askote

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

फोटो प्रति प्रमाणित

अधिशासी अभियन्ता
लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

1260 /12-1 देहरादून

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-07-2023

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6194290191
MoEF/SG File No.	1(15)/2021
Location.	UTTARANCHAL
Address.	cd pwd askotePithoragarh
Amount(In Rs)	313775/-

Amount In Words :Three Lakh Thirteen Thousand Seven Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896194290191 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India, FCS Centre,21/1, III Floor, Jellitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only .

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-07-2023

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6194290191
MoEF/SG File No.	1(15)/2021
Location.	UTTARANCHAL
Address:	cd pwd askote Pithoragarh
Amount(In Rs)	313775/-

Amount In Words :Three Lakh Thirteen Thousand Seven Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896194290191 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India, FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only.

Note:After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference Id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , cputso@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR- SBIN123383813650

सहायक अभियन्ता (सि०)
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट पिथौरागढ़

Executive Engineer
Construction Division, PWD
Askote (Pithoragarh)
Code No. 1883

https://forestsclearance.nic.in/usera...ChallanCorp.aspx?pid=...

संलग्नक -4- (54)

प्रपत्र—27

योजना का नामः— जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रांथी से वोरागांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 2.00 किमी0)

भू—वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू—वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0/—
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

Jun. Engineer
CD, PWD
Askote

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
अस्कोट (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि
अस्कोट (पिथौरागढ़)

संलग्नक–5(12)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बोरा गाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – रौंथी, तहसील– धारचूला, जिला– पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाणपत्र

उत्तराखण्ड में जनपद – पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बोरा गाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी. परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.275 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.275 है0 वन भूमि का निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट.विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम पंचायत रौंथी द्वारा दिनांक 20-11-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के अनुसार उक्त आवेदित वन भूमि मे आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रौंथी के ग्रामवासियो को उक्त वन भूमिनिर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
वि० ख० धारचूला

ह0 / –
ग्राम प्रधान 10/11/14
ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत रौंथी
वि0 खण्ड धारचूला (पिथौरागढ़)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सहायक अभियन्ता ( )
निर्माण खण्ड लो0नि0वि
अस्कोट (पिथौरागढ़)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 20-11-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – सैली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मोहन सिंह	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	देव सिंह कोरंगा	[illegible]
4	परम सिंह	[illegible]
5.	भवान सिंह	गोविन्द सिंह
6.	गोविन्द सिंह	[illegible] सिंह
7)	नार सिंह	राजेन्द्र बोरा
8)	राजेन्द्र सिंह	[illegible]
9	रुद्र सिंह	
(10)	रामसिंह	रामसिंह
(11)	पानसिंह	किशन सिंह
(12)	राम सिंह	राम सिंह
(13)	रतन सिंह	रतन सिंह
(14)	नारायण सिंह	नारायण सिंह
(15)	अर्जुन सिंह	अर्जुन सिंह

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता ( )
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

ह०/–
ग्राम प्रधान 20/11/14
ग्राम पंचायत सैली
वि० खण्ड धारचूला (पिथौरागढ़)

प्रपत्र-232

परियोजना का नाम :-

जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बोरा गाँव तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारचूला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बोरा गाँव तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी. (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.275 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.275 है0 वन भूमि) का निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील – धारचूला) की दिनांक 01-12-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रमोद कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता मे आयोजित की गयी। बैठक मे माननीय सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री प्रमोद कुमार उपजिलाधिकारी ——प्रमोद कुमार—— अध्यक्ष
2— श्री उप प्रभागीय वनाधिकारी———————————सदस्य
3— श्री जीतराम आर्य सहायक समाज कल्याण अधिकारी-धारचूला-सदस्य/सचिव
4— श्री सरिता बोरा बी0डी0सी0 क्षेत्र ——सरिता देवी——सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बोरा गॉव तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.। परियोजना हेतु 0.275 है0 वन भूमि निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यो के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लंबित नही है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस संबंध मे ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण मे उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक मे सर्वसम्मति से उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बोरा गॉव तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.। परियोजना के निर्माण हेतु 0.275 है0 वन भूमि निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता

सहायक अभियन्ता ( )
निर्माण खण्ड लो0नि0वि

(75)

एजेन्सी को जनहित मे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किया जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–धारचूला,
जनपद – पिथौरागढ

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
धारचूला-(पिथौरागढ़)

उप जिलाधिकारी
धारचूला
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–धारचूला
जनपद – पिथौरागढ

सहायक अभियन्ता ( )
लो0नि0वि0

41

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बोरा गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी.।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–पिथौरागढ के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बोरा गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि. मी.। परियोजना के निर्माण हेतु 0.275 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति धारचूला तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रो के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/–
जिलाधिकारी

जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

नोट :– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।
सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनो को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण–पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने है। उक्त प्रयोजनो हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावो के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता ( )
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

प्रपत्र—23.4

परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रॉथी से बोरा गॉव तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र

जनपद — पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रॉथी से बोरा गॉव तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.। परियोजना के निर्माण हेतु0.275 .हे0 वन भूमि निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11—9/98—एफ0सी0 दिनांक 05—02—2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा—सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

ह0/ जिला अधिकारी
जिलाधिकारी पिथौरागढ़

प्रेषित प्रति सत्यापित

अधिशासी अभियन्ता ( )
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला के रौंथी से बोरागाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.000 कि0मी0 हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2000 के तहत

प्रमाण–पत्र

जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़।

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला के रौंथी से बोरागाँव तक मोटर मार्ग (लम्बाई 2.000 कि0मी0) (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.275 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.275 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील धारचूला) की दिनांक 6.12.18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी0 रविशंकर जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री सी0 रविशंकर अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

2– श्री विनय भार्गव सदस्य, प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़।

3– श्री ....[illegible].... सदस्य/सचिव, जिला समाज कल्याण अधिकारी।

4– श्रीमती मन्जुला बुदियाल सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र ....[illegible]....।

5– श्री अमर चन्द .... सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र ....[illegible]....

6– श्री कमलेश प्रसाद ...... सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र तल्लाजोहार

सचिव, द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रौंथी से बोरा गाँव मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 कि0मी0) परियोजना हेतु 0.275 हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग पिथौरागढ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला के रौंथी से बोरागाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.000 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु 0.275 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

सहायक अभियन्ता (निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट (पिथौरागढ़)

जिलाधिकारी (अध्यक्ष), पिथौरागढ़।
जिलाधिकारी पिथौरागढ़

प्रभागीय वनाधिकारी, (सदस्य)
प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला (सदस्य/ सचिव)
(पिथौरागढ़)

जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)
सदस्य जिला पंचायत
(01 सिर्दांग) धारचूला
पिथौरागढ़

जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)
क्षेत्र

जिला पंचायत सदस्य, (सदस्य)
क्षेत्र
जिला पंचायत – तल्लाजोहार पिथौरागढ़।

FROM -I

GOVERENMENT OF UTTARAKHAND

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR PITHORAARH

Dated..6.12.2018...

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no. 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes and with MOEF,s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.275 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Construction Division P.W.D. Askote) for **Construction of Ranthi to Boragaon Moter Road** (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh Distt. falls within jurisdication of **Ranthi (Boragaon) Village in Dharchula Tahsils.**

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire 0.275 hectares area proposed for diversion A copy of records of all consolation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) sub-division level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required as required under section 3 (2) of FRA have been completed and the Gram Shabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural at communities

Encl: As above

सहायक अभियन्ता ( )
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

Signature

(Full Name of the official seal of the District Collector)

P:\PWD_ASKOTE_LETTER'S\pal\pandey G\PANDEY ...

further certified that :

Sl. No.		
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.275 of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee are enclosed an annexure I to annexure.	Yes. Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate of concerned motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

Encl: As above

Signature

(Full Name of the official seal of the District Collector)

पिथौरागढ़

27/X/18

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

जिला ... अधिकारी

अधिशासी अभियन्ता ( )
निर्माण खण्ड लो०नि०वि
अस्कोट (पिथौरागढ़)

1200

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रांकः– 5006 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 10 दिसम्बर, 2021।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अस्कोट, पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला में रांथी से बोरा गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.275 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरुप डिमान्ड नोट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक सं0 250/X-3-21/1(16)/2021 दिनांक 23.03.2021।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि आप उत्तराखण्ड शासन के आदेशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें एवं उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 1 व 2 के कम में उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	0.275 हे0	6,57,000/– (ईको क्लास–V) घनत्व 0.2	1,80,675.00/–
2	आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण	100 वृक्ष	1331/वृक्ष	1,33,100.00/–
			योग	3,13,775.00/–

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

स0अ0 धारचूला / Amar

अ0अ0
15/12/21

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।